

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई, 2007

क्रमांक : 09 / 03 / 2003/नियम/चार  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कमिश्नर  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।  
संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25 सितम्बर 2006.

---000---

संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के निर्देश क्रमांक 7 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कि अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा एकजाई कर परिशिष्ट-2 (अ) पर संभावित संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था में संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी संशोधित परिशिष्ट 2 (अ) (प्रारूप संलग्न) में कर्मचारी के नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जायगी । जिन मामलों में नियुक्तकर्ता राज्य शासन है, उन मामलों में उक्त निर्धारित परिशिष्ट 2 (अ) पर जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजी जायगी ।

2/ उक्त व्यवस्था लागू करने के लिए संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 की कंडिका -6 के अनुसार परिशिष्ट -1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित किया जाकर नियुक्तकर्ता अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो को भेजा जावेगा ।

3/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 के संलग्न परिशिष्ट-6 का संशोधित प्रारूप संलग्न है ।

संलग्न- 2

अज्ञेय  
( ए.पी. श्रीवास्तव )

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग



परिशिष्ट-6

(निर्देश क्रमांक-28)

कार्यालय का नाम- नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का इंडेक्स रजिस्टर  
(नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संधारित किया जायगा)

स्थायी पेंशन खाता क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति दिनांक	नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.